Web Site

उत्तर प्रदेश सरकार
**उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड**
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19सी विधानसभा मार्ग,
उ0प्र0,लखनऊ - 226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2236172 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

संख्याः पीआरपीबी--पी--225 / 2021 दिनांकः जुलाई 15 ,2021

## आदेश

याची / मुख्य आरक्षी बृजेश कुमार पुत्र भागवत सिंह, पीएनओ--842121680 नियुक्ति स्थान--जनपद--बरेली द्वारा रिट याचिका संख्या--6372 / 2021 ब्रजेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के एनेक्जर--3 के साथ संलग्न अपने प्रत्यावेदन दिनांकित 17.09.2020 द्वारा उसे मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस से उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु योजित की गई है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांकित 02.07.2021 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:--

" Petitioner is a Head Constable in U.P. Police. He claims to be entitled to promotion to the next higher post of Sub-Inspector. It appears that a promotion exercise was undertaken at Lucknow in which the petitioner was supposed to participate in the physical test but he could not do so on account of his ailment. It is stated that petitioner informed the authorities about his ailment and has thereafter submitted letter along with fitness certificate with the prayer to allow him to participate in the required test. It is stated that this request of the petitioner has not been bestowed any consideration till date and hence this petition.

Sri Upadhyay, learned State Counsel states that grievance of the petitioner in that regard will be examined by respondent no.2.

In the facts of the present case this petition stands dispose of permitting the petitioner to approach respondent no.2 along with a copy of this order annexing all materials in support of his claim. The grievance of the petitioner would be got examined in terms of the applicable rules/ policy by passing a reasoned order, within a further period of three months thereafter.

The concerned Authority/Official shall verify the authenticity of computerized copy of this order from the official website of High Court Allahabad and shall act accordingly without waiting for submission of the certified copy of this order.

.2-- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांकित 02.07.2021 के अनुपालन में याची / मुख्य आरक्षी बृजेश कुमार पुत्र भागवत सिंह, पीएनओ--842121680 नियुक्ति स्थान--जनपद--बरेली का प्रत्यावेदन बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। रिट याचिका के एनेक्जर--03 के रूप में बोर्ड को सम्बोधित याची का प्रत्यावेदन दिनांकित 17.09. 2020 संलग्न है। याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन में मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस से उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3-- प्रकरण में सूच्य है कि बोर्ड के गठन सम्बन्धी शासनादेश संख्या--1256 / 6--पु0--10--2008--27(7) / 08 दिनांक 02.12.2008 (समय--समय पर यथा--संशोधित) में दिये गये प्रावधान के अनुसार बोर्ड द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये अधियाचन तथा पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी कर्मियों की निर्विवादित वरिष्ठता, पात्रता सूची एवं कर्मियों के सेवाभिलेखों के आधार पर संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधान के आधार पर ही बोर्ड द्वारा प्रोन्नति की कार्यवाही की जाती है।

4— उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 (यथा–संशोधित) में उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर सम्पन्न किया जाना प्रावधानित है। इस कार्यवाही में सर्वप्रथम पीएसी मुख्यालय द्वारा तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु बोर्ड को उपलब्ध करायी गयी वरिष्ठता/पात्रता सूची में सम्मिलित कार्मिकों की संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधानों के आलोक में शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों के लिए 3.2 कि0मी0 की दौड़ 35 मिनट में पूर्ण करना आवश्यक है।

5— शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने वाले कार्मिकों के पीएसी मुख्यालय से प्राप्त अद्यावधिक सेवाभिलेखों व अन्य सुसंगत सूचनाओं के आधार पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आलोक में उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कार्मिकों की सूची तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 को प्रेषित की जाती है।

6— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चयन वर्ष–2019 की 717 रिक्तियों के सापेक्ष अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 से उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में अधियाचन बोर्ड को उपलब्ध कराया गया। उक्त अधियाचन के क्रम में पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी द्वारा मुख्य आरक्षी पीएसी से प्लाटून कमाण्डर पीएसी/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पद पर प्रोन्नति हेतु भर्ती/चयन वर्ष–2019 के सापेक्ष वरिष्ठता/पात्रता सूची व अन्य सुसंगत सेवाभिलेख बोर्ड को उपलब्ध कराये गये। बोर्ड द्वारा पात्रता सूची में सम्मिलित कुल 1076 कार्मिकों की प्रथम चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 22.09.2020 से 28.09.2020 तक तथा द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा 27.10.2020 को पुलिस लाइन लखनऊ में सम्पन्न करायी गयी। पात्रता सूची में सम्मिलित कुल 1076 कार्मिकों, जिसमें याची भी सम्मिलित था, को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी को पत्र प्रेषित किया गया। याची की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 24.09.2020 प्रातः 07:00 बजे नियत थी परन्तु याची उक्त परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ।

7— शारीरिक दक्षता परीक्षा में याची सहित कुल 47 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये थे। अनुपस्थित कार्मिकों को पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड के पत्र संख्या–पीआरपीबी–चार–5(11)/2019 पार्ट–2 दिनांक 29.09.2020 द्वारा पीएसी मुख्यालय को पत्र निर्गत कर अनुपस्थित कार्मिकों को सूचित कर इस आशय की सूचना प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया था कि उनके द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना है अथवा नहीं। तद्क्रम में पीएसी मुख्यालय के पत्र संख्या–पीएसी–1–153(1)/2019/2257 दिनांक–14.10.2020 द्वारा अनुपस्थित कुल 47 कार्मिकों से सूचना प्राप्त की गयी। पीएसी मुख्यालय द्वारा बोर्ड को सूचित किया गया कि **"शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित 47 मुख्य आरक्षियों से लिखित सूचना प्राप्त की गयी है, जिसमें बीमारी/ऐच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अन्य कारणों से किसी भी मुख्य आरक्षी द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने की सहमति नहीं दी गयी है।"**

8— याची का प्रत्यावेदन दिनांकित 17.09.2020, जो एनेक्जर–3 के रूप में संलग्न है, याची द्वारा स्वयं को बीमारी की अवस्था में पाते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपनी असमर्थता व्यक्त की गयी है, तथा उसे उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के सम्मिलित हुए बिना ही उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में संगत सेवा नियमावली में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु प्रथम चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की है, में 3.2 कि0मी0 की दौड़ 35 मिनट में पूर्ण करना आवश्यक है। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा मे सफल होने वाले कार्मिकों के अद्यावधिक सेवाभिलेखों के आधार पर चयन समिति गठित कर वस्तुनिष्ठ निर्णय कराया जाता है। संगत सेवा नियमावली में किसी भी कार्मिक के शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित न होने पर तथा प्रोन्नति संबंधी प्रकिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त पुनः अवसर प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। याची शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं है।

9— अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–6372/2021 ब्रजेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 02.07.2021 के अनुपालन में याची/मुख्य आरक्षी बृजेश कुमार पुत्र भागवत सिंह, पीएनओ–842121680 नियुक्ति स्थान–जनपद–बरेली का प्रत्यावेदन दिनांकित 17.09.2020 एनेक्जर–3 एतद्द्वारा बोर्ड निर्णय के अनुसार अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।

अपर सचिव, प्रोन्नति
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1— सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–10, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को आदेश की 02 प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित हैं कि इसक एक प्रति अपने अधीनस्थ नियुक्त याची/मुख्य आरक्षी बृजेश कुमार पुत्र भागवत सिंह, पीएनओ–842121680 नियुक्ति स्थान–जनपद–बरेली **को** हस्तगत कराकर तथा दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति **के** हस्ताक्षर दिनांक सहित प्राप्त कर अभिलेखार्थ **एक सप्ताह के अन्दर** वापस करना तथा यदि यह कर्मी आपके जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण पर गया हो तो भी अपने सतर से इस प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

पत्र निर्गत हस्ताक्षर व दिनांक